


Not press
16.7.24
16.7.24

16.07.2024:- पत्रावली आज पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य में आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकाम पर not press किया गया। पक्षकारों का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानयद

